न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बइजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 78 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 श्री जोगाराम पुत्र श्री दाना जाति रेबारी निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही		1 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति सरगरा निवासी डोडुआ 2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री प्रफुल्ल माली
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक 24.06.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 21.06.2024 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के एकल खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1159 / 1154 कुल रकबा 0.2166 हैक्टेयर मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा भु०अभि०नि० क्षेत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में स्थित है जिसमे प्रार्थी एकल खातेदार कृषक होकर सम्पूर्ण कृषि आराजी में काबिज काश्त हैं। प्रार्थी के एकल खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1159 / 1154 में प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी का खातेदार कृषक होकर मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के एकल खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1159 / 1154 के बिलकुल लगती हुयी अप्रार्थी संख्या एक की कृषि आराजी खसरा संख्या 614 कुल रकबा 0.1900 हैक्टेयर आयी हुई है तथा उसके लगती हुई बिलानाम कृषि आराजी खसरा संख्या 7 आयी हुई हैं। उक्त दोनों खसरा मे मौके पर रास्ता स्थित है जिसमें से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आवागनम करता है जिसे संलग्न नक्शे मे मार्क ए से सी व सी से ई अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे मार्क ए से सी व सी से ई से रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही हैं लेकिन मौके पर संलग्न नक्शे अनुसार मार्क ए से सी व सी से ई रास्ता स्थित है जो पुराना होकर कदीमी से खातेदारो के द्वारा उपयोग किया जा रहा हैं। प्रार्थी व उसके परिवारजन अपनी कृषि आराजी खसरा संख्या 1159 / 1154 मे आवाजाही के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि आराजी खसरा संख्या 614

में से संलग्न नक्शे मे मार्क ए से सी का रास्ता व बिलानाम कृषि आराजी खसरा संख्या 7 मे से संलग्न नक्शे मे मार्क सी से ई के रास्ते का उपयोग कर रहे है तथा मार्क ए से सी व सी से ई के रास्ते से प्रार्थी से पुर्व खातेदार कदीमी से अपनी आराजी में फसल बोने. जोतने आने जाने हेतु टेक्ट्रर लाने व ले जाने एवं बेलगाडी लाने व ले जाने हेतु बिना किसी बाधा के शान्तिपुर्ण तरीके से उपयोग करते आ रहे है जिस कारण से प्रार्थी भी उपरोक्त कृषि आराजी खरीद करने के बाद उसी रास्ते (संलग्न नक्शे मे मार्क ए से सी व सी से ई का रास्ता) का उपयोग करता आ रहा है लेकिन उक्त रास्ते को अप्रार्थी संख्या एक ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है तथा प्रार्थी को अपनी स्वयं की खातेदारी में आने जाने के लिये बाधा उत्पन्न कर रहा हैं। प्रार्थी को अपने कृषि आराजी खसरा संख्या 1159/1154 में आने जाने के लिए बिल्कुल लगती हुयी अप्रार्थी संख्या एक की आराजी खसरा संख्या 614 व बिलानाम कृषि आराजी खसरा संख्या 7 मे स्थित रास्ते का उपयोग करना पडता है तथा उक्त रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 ने अवरुद्ध कर रोकने का प्रयास किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थी को उक्त रास्ते को अवरुद्ध करने एवं खडाई कर खुर्द बुर्द कर रद्बोबदल करने की धमकी दी जा रही है जिस कारण से प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, नक्शे मे तरमीम रास्ते के रुप में करते हुए उस अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे क्योकि प्रार्थी के पास अपने कृषि आराजी खसरा संख्या 1159/1154 में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने एकल खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1159/1154 में आवागमन करने के लिये बिल्कुल लगती हुयी अप्रार्थी संख्या एक की आराजी खसरा संख्या 614 व बिलानाम कृषि आराजी खसरा संख्या 7 मे स्थित रास्ते (जिसे संलग्न नक्शे मे मार्क ए से सी व सी से ई अंकित किया गया है) को नियमानुसार दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 में संलग्न मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा भु०अभि०नि० क्षेत्र सिरोही तहसील के जमाबंदी व नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया।

प्रकरण में इस न्यायालय की सुनवाई दिनांक 04–12–2024 को अप्रार्थी संख्या के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17.01.2025 को अप्रार्थी स्टेट ओर से जरिए पत्रांक 1247 दिनांक 04.12.2024

को जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के नाम मौजा राजपुरा (बाल्दा) में खाता सं. 398 ख.नं. 1159/1154 रकबा 0.266 दर्ज है जिसकी जमाबंदी संलग्न है। वादी ने अपनी खातेदारी में जाने हेतु मौजा राजपुरा (बाल्दा) के ख.नं. 7 व 614 में निवेदन किया है। जिसमे लघुत्तम दूरी का वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 7 रकबा 2.18 है0 किस्म बंजर बिलानाम में से ल.चौ. 92×6=552 वर्ग मी व खसरा संख्या 614 रकबा 0.19 है0 किस्म ब.उत्तम ए में से ल.चौ. 4×6=24 वर्ग मी. कुल 576 वर्गमीटर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी पर पहुंचने हेतु उपरोक्तानुसार रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर मजिद बहस दिनांक 09.05.2025 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार के न्यायालय मे हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व सलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व सलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी मे से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यांतिक आवश्यकता होने से एंव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नही होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे भी रास्ता मौके एंव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि मौजा राजपुरा (बाल्दा) में खाता सं. 398 ख.नं. 1159/1154

जोगाराम बनाम सुरेश कुमार
रा.प्रा.पत्र संख्या 78/2024

रकबा 0.266 पर कृषि कार्य हेतु स्वंय व कृषि यंत्र मवेशी बैलगाडी के आवागमन के लिए मौजा राजपुरा(बाल्दा) व तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 7 रकबा 2.18 है0 किस्म बंजर बिलानाम में से ल.चौ. 92×6=552 वर्ग.मी. व खसरा संख्या 614 रकबा 0.19 है0 किस्म ब.उत्तम ए में से ल.चौ. 4×6=24 वर्ग.मी. कुल 576 वर्गमीटर का मार्ग/रास्ता दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(52) राज.–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रिती से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :– (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी।

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थीगण के मौजा राजपुरा(बाल्दा) व तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 7 रकबा 2.18 है0 किस्म बंजर बिलानाम में से ल.चौ. 92×6=552 वर्ग.मी. व खसरा संख्या 614 रकबा 0.19 है0 किस्म ब.उत्तम ए में से ल.चौ. 4×6=24 वर्ग.मी. कुल 576 वर्गमीटर का मार्ग/रास्ता दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशी अप्रार्थी सं 1 को उपरोक्तानुसार रास्ते की भूमि की कीमत का भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नमबर से कम हो ।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही